

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

नम्बर  
अहकाम  
कम  
में जारी

अपील संख्या  
12/31/2025

रजिस्टर्ड नंबर  
2025/269

प्रवेश तिथि  
24.04.2025

निर्णय दिनांक  
31.12.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री भगवान सिंह सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भण्डवाडा, तहसील अलवर राज0 ।


—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

1. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि ।



प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया ।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 23.04.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री विजयपाल यादव, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु मै० भगवान सिंह हेयर ड्रेसर, रेलवे स्टेशन रोड, टी-प्वाईट, अलवर पर पहुंचा ।

मौके पर श्री भगवान सिंह सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भण्डवाडा, तहसील अलवर ग्रामीण जिला अलवर उपस्थित मिला । श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह की दुकान पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले । जिनका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया । श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह के द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग कार्य किया जाना, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया । मौके पर उक्त कब्जेराज 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को मै० गोविन्द गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रूपनारायण, निवासी धोबी घट्टा, विजय नगर, अलवर को सुपुर्द किया गया । फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात करने की कृपा करें ।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित ।

आ. रजि० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर चिंतन-मनन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह की मै० भगवान सिंह हेयर ड्रेसर, रेलवे स्टेशन रोड, टी-प्वाईट, अलवर स्थित दुकान पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)